झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0–277 वर्ष 2017

स्नेहलता मुर्मू, पत्नी–स्वर्गीय एलील टुडू, निवासी ग्राम–शिवहरी रोड (पार्वती गेट के पास), डाकघर एवं थाना–दुमका, जिला–दुमका, झारखण्ड

.... याचिकाकर्त्ता

बनाम्

1. झारखण्ड राज्य

2. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, विद्यालय और साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार, प्रोजेक्ट भवन, डाकघर एवं थाना–धुर्वा, जिला–रांची, झारखण्ड

4. जिला शिक्षा अधीक्षक, डाकघर, थाना एवं जिला–दुमका, झारखण्ड

.... उत्तरदातागण

कोरम : **माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रमाथ पटनायक**

याचिकाकर्त्ता के लिए :– श्री अरबिंद कुमार, अधिवक्ता

उत्तरदाताओं के लिए :– एस0सी0 (एल0 एंड सी0) का जे0सी0

02 / 14.02.2017 याचिकाकर्त्ता के बारे में कहा गया है कि वह दिनांक 31.08.2016 को प्रतिवादी–प्राथमिक विद्यालय, बांद्राखोरी मिशन, दुमका, गुहियाजोरी की सेवाओं से शिक्षक के रूप में सेवानिवृत हुए थे। याचिकाकर्त्ता का तर्क है कि विचाराधीन स्कूल एक सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक स्कूल है और स्कूल कर्मचारियों के वेतन और सेवानिवृत लाभों

के भुगतान के लिए सभी खर्चों को राज्य सरकार द्वारा सरकारी खजाने से वित्त पोषित किया गया है। याचिकाकर्त्ता को महालेखाकार कार्यालय द्वारा जारी पेंशन भुगतान आदेश के आधार पर पेंशन भी मिल रही है।

2. वर्तमान रिट याचिका में, याचिकाकर्त्ता की शिकायत उसके अर्जित अवकाश पर बकाया छुट्टी नकदीकरण राशि का भुगतान न करने के संबंध में है। उसने यह भी कहा है कि अन्य पोस्ट रिटायरल बकाया का भुगतान पहले ही किया जा चुका है और राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए गए अनुदान सहायता से वेतन और सेवानिवृत के बाद लाभ का भुगतान किया गया है।

4. याचिकाकर्त्ता के अधिवक्ता ने कहा कि हालांकि, याचिकाकर्त्ता के दावे को पहले प्रतिवादी राज्य सरकार द्वारा विरोध किया गया था, लेकिन इस मुद्दे को अब मरियम तिर्की बनाम झारखण्ड राज्य और अन्य के मामले में इस न्यायालय की विद्वान खंडपीठ द्वारा डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0 506/2013 और अन्य सदृश मामलों में दिनांक 3 जनवरी 2014 को दिए गए निर्णय के मद्देनजर सुलझा लिया गया है जो 2014 (1) जे0बी0सी0जे0 465 में भी रिपोर्ट किए गए हैं और अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के स्पेशल लीव टू अपील (सी0) संख्या (एस0) 20606–20607/2014 में पारित दिनांक 15.15.2014 के निर्णय के द्वारा पुष्टि किया गया। याचिकाकर्त्ता के अनुसार, उत्तरदाताओं को याचिकाकर्त्ता को अर्जित अवकाश नकदीकरण राशि को भुगतान करने का निर्देश देकर विद्वान खंडपीठ द्वारा उपरोक्त दिए गए निर्णय जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई, के मद्देनजर रिट याचिका का निपटान किया जा सकता है।

5. पार्टियों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद, ऐसी परिस्थितियों में, रिट याचिका का निपटारा प्रतिवादी सं0 3 को निर्देश देकर किया जा रहा है कि वह उसके संबंधित सेवा रिकॉर्ड की उचित जांच के बाद याचिकाकर्त्ता को छुट्टी नकदीकरण राशि प्रदान करने के मामले में याचिकाकर्त्ता के अभ्यावेदन के साथ इस अंदेश की एक प्रति प्राप्त होने की तारीख से दस सप्ताह की अवधि के भीतर मरियम तिर्की (ऊपर) के मामले में दिए गए निर्णय के मद्देनजर निर्णय लें।

6. तद्नुसार, रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।

(प्रमाथ पटनायक, न्याया0)